

[श्री प्राणशशीर शास्त्री]

की घोषणा गवर्नमेंट ही कर सकती है। सत्तारूढ़ पार्टी का कोई प्रेसीडेंट इस बात की घोषणा नहीं कर सकता। श्री कामराज ने जो यह घोषणा की है कि सब कमेटी ने फैसला कर लिया है बिल का ड्राफ्ट हो रहा है और वह बिल इसी सेशन में आयेगा यह घोषणा प्रधान मंत्री या गृह मंत्री ही कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस का प्रेसीडेंट इस घोषणा को नहीं कर सकता यह हमारे कहने का अनिश्चित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री बृजराज सिंह (बरेली) : प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दिया जाय

Dr. M. S. Aney (Nagpur): You have made a distinction between impropriety or want of courtesy to the House and contempt of the House. That is a very fine distinction. What is the way to judge whether it is impropriety or contempt whether it is done by the members of the Government or other persons? In my opinion, it is dangerous to draw such a line of distinction between impropriety and contempt.

Mr. Speaker: The hon. Member did not follow me. I said that if it had been made by a member of the Government, the question of impropriety would arise, not if somebody makes it.

श्री बागड़ी (हिमार्) : क्या यह सारी सरकार ने मिल कर फैसला किया है उस बारे में प्रधान मंत्री हमें बतलायें... (इंटरप्रांस)

अध्यक्ष महोदय : पहला सवाल यह है कि इसमें मैं भी बहुत ज़िद करता हूँ और मुझे श्री क्रीशान के सम्बन्ध में इसके लिये माफ़ करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी उसके बाद सम्बन्धों द्वारा यह

फ़ोर्स करना कि हम ज़रूर इस बात पर बहस करेंगे, वे अपनी इस ज़िद पर कायम रहेंगे या वह मेरी बात और मेरे फैसले को मान लेंगे? मैं चाहूँगा कि अब भी वह मेरी बात को मान लें और इस वक्त इस को न उठाएँ क्योंकि मैंने इसकी कंसेंट नहीं दी है।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : मैं एक दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस वक्त मुझे काम करने दीजिये।

12.24½ hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
 —contd.

NOTIFICATION UNDER ESSENTIAL COM-
 MODITIES ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. G.S.R. 524 dated the 3rd April, 1965, extending the Imported Foodgrains (Prohibition of Unauthorised Sale) Order, 1958, to the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [Placed in Library, see No. LT-4187/65].

12.25 hrs.

ESTIMATES COMMITTEE

PRESENTATION OF FOURTH REPORT

Shri A. C. Guha (Barasat): I beg to present the Sixty-ninth Report of the Estimates Committee on the Ministry of Transport—Vishakapatnam and Tuticorin Ports.